

30/7/14



कमील जमीनी उपखिन्न नहीं आया वकील  
 व उनके जमीनी को वा - 2 आया व  
 डिपॉजिट गिडि नोडि उपखिन्न नहीं आया  
 कर! जमीनी को ज. प. र. अधिनियम 1952  
 जमीनी के इन्फॉर्मेशन - अ.प. र. अधिनियम  
 जमीनी क्षेत्र पर खारिज किया जाता है  
 पत्रावली में मल शुद्ध क्षेत्र डी. न. र. अधिनियम में  
 क्षेत्र का तहकील ख. वा. के साथ मल  
 रहे। 30/7/14

*(Signature)*  
 जिलाधिकारी  
 कठूमर (अलवर)